Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	06.08.2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	10

जानकारी छिपा संपत्तियों की रजिस्ट्री से सात करोड़ की चपत

सीएजी रिपोर्ट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यूपी में जानकारी छिपाकर संपत्तियों की रजिस्ट्री कराए जाने का खुलासा हुआ है। सीएजी को यूपी के 36 उप निबंधक कार्यालयों द्वारा की गई संपत्तियों की रजिस्ट्री की जांच में इसकी जानकारी मिली है। इससे विभाग को 6.83 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क का नुकसान हुआ है। (Para No. 2.2)

विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2022 से जून 2023 के बीच प्रदेश के 36 उप निबंधक कार्यालयों में फरवरी 2016 से मई 2023 के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि बेची गई भूमि को मुख्य सड़क और आबादी से 200 मीटर की परिधि में है। इस भूमि को कृषि दिखाते हुए रजिस्ट्री कराई गई। अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री में पाया गया कि आवासीय भूखंड में बेचा गया है। कुछ मामलों में मकान और भूखंडों की रजिस्ट्री पाई गई। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि जानबूझकर स्टांप चोरी के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत भूमि की महत्ता के निर्धारण में साफ्टवेयर का उपयोग करने में विफल रहे। इसके चलते स्टांप शुल्क निर्धारण कम होना पाया गया है।

वाहनों की फिटनेस और परमिट में घोर लापरवाही

लखनऊ। कामर्शियल व निजी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों व परमिट की जांच में लापरवाही के कारण परिवहन विभाग को 1.33 करोड़ रुपये का चूना लगा है। फिटनेस व परमिट का नवीनीकरण शुल्क वसूलने में लापरवाही बरती गई। ऐसे में बिना फिटनेस व परमिट के सड़कों पर वाहन दौड़ते रहे। जिससे दुर्घटनाएं बढ़ने का भी खतरा पैदा हुआ। वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराए जाने के चलते 2010 कार्मिशियल वाहन और 1537 निजी वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के दौड़ते रहे। संभागीय परिवहन अधिकारियों व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों ने इन वाहन स्वामियों को नोटिस तक निर्गत करने और फिटनेस प्रमाण पत्र न होने के कारण परमिट निरस्त करने की भी कार्रवाई नहीं की गई। (Para No. 2.5)

ट्रैफिक लोड की सही गणना न होने से डेढ़ करोड़ की चोट

लखनऊ। सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक लोड की गलत गणना से लोक निर्माण विभाग को 1.44 करोड़ रुपये गैर जरूरी खर्च करने पड़े। सीएजी ने रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी की दलीलों को खारिज करते हुए इसे परिहार्य व्यय माना। मामला चंदौली जिले के चहानिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण का है। पीडब्ल्यूडी को इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2016 में 76 .59 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। मुख्य अबिंता वाराणसी परिक्षेत्र ने तकनीकी मंजूरी दी। अधीक्षण अभियंता वाराणसी वृत्त ने विभागीय दर से 4 .25 प्रतिशत अधिक पर कार्य के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध किया। सितंबर 2016 में कार्य शुरू हुआ और जून 2018 में पूरा हुआ। मार्च 2019 में ठेकेदार को भुगतान किया गया। (Para No. 4.2)

पर्यटन निगम ने जीएसटी मद में किया 3.44 करोड़ का ज्यादा भुगतान : पर्यटन विभाग में कराए गए कार्यों में तमाम अनियमितताओं की शिकायत मिली है। यह गड़बड़ियां कैग (सीएजी) ने पकड़ी हैं। बुधवार को विधान मंडल में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों रुपये के अनियमित भुगतान का जिक्र किया गया है। जिन चीजों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान होना था, उसमें 18 प्रतिशत की दर से कर दिया गया। ठेकेदारों को टेंडर आवंटित हुए बिना ही अग्रिम भुगतान कर दिए गए।

CHAPTER - 2
Para No. - 2.2
2.5

Chapter - 4
(Para No - 4.1.9.9)

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	06.08.2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	09

गलत गणना से 1.44 करोड़ रुपये बढ़ा सड़क निर्माण का खर्च

(Para No. 2.1.9.2)

सीएजी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः भारत के नियंत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने चंदौली जिले में सड़क निर्माण की एक परियोजना के लिए यातायात भार की गलत गणना किए जाने से लोक निर्माण विभाग द्वारा 1.44 करोड़ रुपये अनावश्यक खर्च किए जाने का मामला उजागर किया है। गलत गणना की वजह से डामर-कंक्रीट की पांच मिलीमीटर अधिक मोटी परत डाली गई थी जिससे सड़क निर्माण में 1.44 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए। पीडब्ल्यूडी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएजी ने इसे गैर जरूरी खर्च माना है।

विधानमंडल में बुधवार को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में चंदौली जिले में चहनिया-धानापुर-महुजी-जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 75.59 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। अधीक्षण अभियंता वाराणसी वृत्त ने इस सड़क के लिए विभागीय दर से 4.25 प्रतिशत अधिक दर पर काम करने के लिए ठेकेदार से अनुबंध किया गया।

सिंतबर 2016 में शुरू होकर जून 2018 में इस सड़क का काम शुरू हुआ। इस काम का भुगतान 2019 में किया गया। सड़क के निर्माण के लिए औसतन 330 वाहनों की प्रारंभिक यातायात गणना की गई थी। बाद में इसे 614 कर दिया गया, जो कि इंडियन रोड कांग्रेस के प्रविधानों के अनुसार नहीं है। आडिट में पाया गया कि यातायात भार सर्वे में तय मानकों का पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से पांच मिलीमीटर अधिक मोटी डामर-कंक्रीट की परत डाली गई। इसकी वजह से इस सड़क के निर्माण की लागत बढ़ी।

जमीन का गलत विवरण देकर 6.83 करोड़ स्टांप शुल्क की चोरीः रिपोर्ट में जमीनों के क्रय-विक्रय में 6.83 करोड़ रुपये की स्टांप शुल्क की चोरी भी उजागर हुई है। 36 उप-निबंधक कार्यालयों की जांच में सीएजी ने पाया कि कई जमीनों को सड़क व आबादी के 200 मीटर के दायरे में होने के बावजूद कृषि कार्य का उद्देश्य बताकर खरीदा गया। नियमानुसार भूमि संपत्ति के मूल्यांकन के लिए इसे प्रभावित करने वाले कारकों जैसे जमीन की प्रकृति, निर्माण व सड़क से दूरी की सही रिपोर्ट देनी चाहिए। एक ही गाटा संख्या में अलग-अलग दर यानी आवासीय व कृषि दर पर शुल्क लगाकर अनियमितता बरती गई।

आबकारी विभाग ने लगाया सरकार को दो करोड़ रुपये का चूनाः रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2023 को हुए समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अवधि में आबकारी विभाग की लापरवाही से आठ आसवनियों से ली गईं शराब की बोतलों से क्यूआर कोड शुल्क नहीं वसूला गया। क्यूआर कोड का शुल्क 15 पैसे प्रति बोतल था। इससे सरकार को दो करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

(Para No. 2.7)

पूरी खबर पढ़ने के लिए क्यूआर स्कैन करें।

नियमों का उल्लंघन कर नई योजनाओं के लिए बजट से दिए 5120 करोड़ रुपये

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राज्य में सरकारी विभागों के वित्तीय लेन-देन, बजट और वेतन प्रबंधन मे प्रयोग की जाने वाली एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) की खामियों को उजागर किया है। इन खामियों की वजह से वित्तीय लेन-देन मे कई गड़बड़ियां पाई गईं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बजट नियमावली में नई सेवाओं (योजनाओं-परियोजनाओं) में पुनर्विनियोजन (एक से दूसरी योजना में धनराशि देने) की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद विभागों ने वर्ष 2018 से 2024 की अवधि में नई सेवाओं पर खर्च के लिए 5,120.88 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। सीएजी का मानना है कि यह गड़बडी पुनर्विनिजोयन को प्रतिबंधित करने के लिए एप्लीकेशन नियंत्रण का न होना है। एक अन्य मामले मे वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच व्यय से संबंधित शीर्ष (मद) में प्रविधानित धनराशि से 13,938 रुपये अधिक का आवंटन योजनाओं के मद में किया गया। वहीं, गोरखपुर चिड़ियाघर में कार्यरत एक आपरेटर जुलाई 2023 मे सेवानिवृत्त हुए। इनकी आइडी से अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच 5.18 करोड़ रुपये से अधिक की 333 प्रविष्टियां बढ़ाई गईं।

पूरी खबर पढ़ने के लिए क्यूआर स्कैन करें।

(Para No. 2.2)

Chapter No. 2
Para No. – 2.1.9.2
2.2
2.7

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	06. 08. 2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	02.

आईएफएमएस में बिना बजट 219 करोड़ रुपये खर्च, सीएजी ने उठाए वित्तीय प्रबंधन पर सवाल

(Para No. 2.1.9.1) (Para No. 2.1.9.2) (Para No. 2.1.9.3) (Para No. 2.1.8.4)

लखनऊ। वित्त एवं राजस्व विभागों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में बिना बजटीय प्रावधान और स्वीकृति के 219.57 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। वहीं, नई सेवाओं पर रोक के बावजूद 5,120.88 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन किया गया। राज्य संसाधनों से वित्तपोषित योजनाओं में भी 10,186.62 करोड़ रुपये के अनियमित पुनर्विनियोजन के मामले सामने आए हैं।

2014-15 से आईटी संचालन समिति का पुनर्गठन नहीं : सीएजी की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में आईएफएमएस के आईटी गवर्नेंस पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014-15 में आईएफएमएस लागू होने के बाद से आईटी संचालन समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया। इसके अलावा आईटी नीति भी तैयार नहीं की गई। परियोजना के निर्धारित पड़ाव समय से पूरा नहीं किए जाने के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली 20.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी जारी नहीं हो सकी। ब्यूरो

(Para No. 2.1.9.2)

5120 करोड़ रुपये का अनियमित पुनर्विनियोजन भी पकड़ा

स्थानांतरण-सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय मिलीं यूजर आईडी

आईएफएमएस में डाटा सुरक्षा से जुड़ी गंभीर विसंगतियां भी मिलीं। जांच में ऐसे मामले सामने आए, जिनमें कर्मचारियों के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी उपयोगकर्ता आईडी सक्रिय थीं। इससे अनधिकृत रूप से वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बनाए जाने का खतरा बना रहा।

(Para No. 2.2)

संपत्तियों का पूरा ब्योरा छिपाने से 6.83 करोड़ के राजस्व की क्षति

(Para No. 1.3)

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की जांच में भी राजस्व हानि का मामला सामने आया। संपत्तियों की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों में सड़क की चौड़ाई, संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग व वास्तविक क्षेत्रफल जैसी जानकारियां पूरी तरह दर्ज नहीं की गईं। इससे संपत्तियों का सही मूल्यांकन नहीं हो सका व 6.83 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

***36,241.90 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया :** रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से संबंधित कुल 36,241.90 करोड़ का राजस्व बकाया था। अकेले स्टाम्प राजस्व की 15,293.15 करोड़ की राशि पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद खनन विभाग ने बकाया राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए।*

(Para No. 1.3)

नियमों के विपरीत 571 डॉक्टरों को मिला एनपीए

लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) के भुगतान में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। विधानसभा में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 से 2024 के बीच 571 सरकारी डॉक्टरों को नियमों के विपरीत एनपीए दिया गया, जिससे सरकार को 16.93 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में डॉक्टरों को मूल वेतन का 20% एनपीए दिया जाता है, लेकिन मूल वेतन और एनपीए मिलाकर मासिक राशि 2.37 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पाने वाले 571 डॉक्टरों को भी एनपीए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 1660 मामलों में एनपीए की दर 21 प्रतिशत तक दी गई, जिसे कैग ने नियमों का उल्लंघन माना है। ब्यूरो

CHAPTER – 1 & 2

CHAPTER-1 ⇒ Para No. — 1.3

CHAPTER-2 ⇒ Para No. — 2.1.8.4
2.1.9.1
2.1.9.2
2.1.9.3
2.2.

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	06.08.2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	02.

Para No. 2.4

परिवहन विभाग की लापरवाही से करोड़ों के राजस्व का नुकसान

अमर उजाला ब्यूरो

फिटनेस, परमिट और टैक्स वसूली में बरती गई लापरवाही

लखनऊ। परिवहन विभाग की लापरवाही से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट शुल्क और अतिरिक्त कर की वसूली में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में अधिकारियों ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी नहीं की।

Para No. 2.3

प्रदेश में 2010 परिवहन और 1537 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके बावजूद विभाग ने वाहन स्वामियों को न तो नोटिस दिए और न ही अन्य कार्रवाई की। इससे 37.18 लाख रुपये का फिटनेस शुल्क वसूल नहीं हो सका। सीएजी ने परमिट शुल्क की वसूली में भी कमी पाई है। कई वाहनों के परमिट की अवधि खत्म होने के बाद भी उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) सरेंडर नहीं किए गए। अधिकारियों ने इस पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इसके कारण सरकार को 96.38 लाख रुपये के परमिट शुल्क का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्धारित शहरी क्षेत्र के बाहर चल रही 84 जेएनएनयूआरएम बसों पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। इससे सरकार को 1.38 करोड़ रुपये का राजस्व नहीं मिला। इसके अलावा उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों ने अतिरिक्त कर के भुगतान में देरी की, लेकिन 6907 मामलों में विभाग ने नियमानुसार अर्थदंड नहीं वसूला। सीएजी ने इन मामलों को राजस्व वसूली में लापरवाही माना है और व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है।

Para 2.5

Para 2.7.

क्यूआर कोड की राशि का आबकारी विभाग नहीं वसूल सका ब्याज

लखनऊ। आबकारी विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितंबर से मार्च माह के दौरान क्यूआर कोड की राशि पर 2 करोड़ रुपये का ब्याज वसूल पाने में असफल रहा। वर्ष 2023 की सीएजी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि तमाम आसवानियों एवं यवासवनियों ने ट्रैक एंड ट्रेस एप्लीकेशन (क्यूआर कोड) का उपयोग किए बिना मदिरा जारी कर दी। जारी की गई मदिरा की बोतलों की कीमत में क्यूआर कोड की लागत शामिल थी, इसलिए इन इकाइयों ने विभाग द्वारा मांगे जाने पर 3.06 करोड़ रुपये की धनराशि कोषागार में जमा करा दी। यह धनराशि जमा करने में 33 से 56 माह का विलंब हुआ जिस पर 2 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना था। विभाग द्वारा इसे वसूला नहीं जा सका। ब्यूरो

CHAPTER – 2

Para No. – 2.3
2.4
2.5
2.7

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	06.08.2026
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

स्वदेश दर्शन की योजनाएं पूरी होने के दो साल बाद प्रयोग में लाई गईं

लखनऊ। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना में प्रदेश में देरी का मामला सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उठाया है। कहा है कि योजना के तहत पूरी हो चुकीं परियोजनाएं 23 महीने की देरी के बाद प्रयोग में लाई गईं। वहीं 59.53 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियां भौतिक सत्यापन होने तक, पूरी होने के 13-14 महीने के बाद भी संचालन में नहीं लाई गई थीं। Para (4.1.10.2)

सीएजी ने केंद्र सहायतित परियोजनाओं में देरी का उठाया मुद्दा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्वदेश दर्शन योजना के लिए योजना दिशा-निर्देशों में विषय आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास का प्रावधान किया गया था। सर्किट में कम से कम तीन प्रमुख पर्यटक स्थल शामिल होने चाहिए जो पृथक हों और जिनमें प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित हों। पर्यटक सर्किट के विकास का यह उद्देश्य किसी पर्यटक को पर्यटक सर्किट में चिह्नित अधिकांश स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित करना था।

पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए,गंतव्यों के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी आध्यात्मिक थीम के अंतर्गत जेवर दादरी-सिकंदराबाद नोएडा-खुर्जा-बांदा के पर्यटन विकास परियोजना में जेवर और बांदा के बीच की दूरी 501 किलोमीटर थी। पर्यटन निदेशालय ने एक ही पर्यटक द्वारा किसी सर्किट में शामिल स्थलों के भ्रमण के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। इस प्रकार, यह आंकलन नहीं किया जा सका कि किसी पर्यटक ने पर्यटन सर्किट में अधिकांश स्थानों का दौरा किया था अथवा नहीं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत निदेशालय की 12 परियोजनाएं छह महीने से 44 महीने तक देरी के साथ पूरी की गई थीं। वहीं केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की चार परियोजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार को दी क्लोजर रिपोर्ट में 6.68 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से किया गया। ब्यूरो

Para (4.1.8.3)

Para (4.1.9.3)

Para (4.1.9.1)

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	06.08.2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	02.

IFMS मे मिली खामियां, नही मिले ₹20.06 करोड़

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के लिए नही तैयार की गई आईटी नीति

CAG REPORT

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट ने वित्त विभाग की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में लागू इस प्रणाली में तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कई कमियां बनी रहीं, जिनसे सरकारी धन और वित्तीय नियंत्रण प्रभावित हुए। दस वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद आईएफएमएस के लिए औपचारिक आईटी नीति तैयार नहीं की गई और न ही निगरानी के लिए आईटी संचालन समिति गठित हुई। आपदा पुनर्प्राप्ति और कार्य निरंतरता योजना के अभाव में किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में वित्तीय डेटा पर जोखिम बना हुआ है।

लक्ष्य पूरा न होने के कारण केंद्र से नहीं मिले रुपये : लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे न होने के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता की दूसरी और तीसरी किस्त जारी नहीं हो सकी, जिससे 20.06 करोड़ रुपये की राशि नहीं मिली। आईएफएमएस में लाभार्थियों की आधार सीडिंग की व्यवस्था भी नहीं थी।

(Para No. 2.1.8.4)

बजट मॉड्यूल पूर्ण रूप से कार्यरत न होने के बावजूद कई मामलों में बजट आवंटन के बिना 219.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नई सेवाओं पर पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं होने पर भी 5,120.88 करोड़ रुपये पुनर्विनियोजन के माध्यम से खर्च किए गए। रिपोर्ट में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में हजारों मामलों में व्यय के गलत वर्गीकरण, राजस्व और पूंजीगत मदों के बीच गलत प्रविष्टियों, कोषागार और आईएफएमएस डेटाबेस के आंकड़ों में अंतर तथा 1.52 लाख से अधिक मामलों में लेखा शीर्षों की विसंगतियां दर्ज की गईं। (Para No. 2.2)

(Para No. 2.1.9.1, 2.1.9.2)

सही विवरण दर्ज न होने पर 6.83 करोड़ का नुकसान : स्टांप एवं पंजीकरण विभाग में भूमि विवरण अपूर्ण या गलत दर्ज होने के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क कम वसूला गया, जिससे 6.83 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई। सीएजी ने इन कमियों को वित्तीय अनुशासन, डेटा सुरक्षा और राजस्व संग्रह के लिए गंभीर जोखिम मानते हुए प्रणालीगत सुधारों की तत्काल स्तर पर आवश्यकता रेखांकित की है।

CHAPTER - 2

Para No. – 2.1.8.4
2.1.9.1
2.1.9.2
2.2

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	THE TIMES OF INDIA
Date	06.08.26.
Edition (H/E)	ENGLISH
Page No.	05.

Rep. No. 13 of 2025

CAG flags lapses in vehicle fitness check

Neha.Shukla2@timesofindia.com

Lucknow: A total of 2,010 transport vehicles and 1,537 non-transport vehicles did not renew certificates of fitness and were liable for levy of fitness fee of more than Rs 37 lakh, said the CAG report for the period ending March 2023.

The audit checked records of 8,861 transport vehicles concerning 12 regional transport offices (RTOs)/assistant regional transport offices (ARTOs), between Aug 2022 and Oct 2023 and noticed that fitness certificates of 2,010 transport vehicles were not renewed.

The registration certificates of these vehicles were also not surrendered by owners.

The audit further noticed that after expiry of fitness certificates, due tax was paid for 894 out of 2,010 vehicles, and the enforcement team had challaned on the road 934 of these 2,010 vehicles at different points of time, showing that the vehicles were plying on the road even after the expiry of their fitness certificates. This also deprived govt of a fitness fee of over Rs 21.8 lakh. (21.78)

Similarly, the audit check for 7,831 non-transport vehicles, concerning 13 RTOs/ARTOs, between the same period as mentioned above, found that fitness certificates of 1,537 vehicles were not renewed even after the date of expiry. But the vehicles were in use, as 520 of them were challaned on the road during enforcement.

The matter was reported to the department.

The CAG report also pointed out that RTOs did not initiate any action on expired permits of vehicles, which led to the foregoing of permit fee and application fee amounting to around Rs 96.4 lakh. (96.38)

Among the other findings were not levying additional tax of around Rs 1.4 cr on 84 JNNURM buses plying outside the designated municipal areas, and not imposing a penalty on UPSRTC buses for delay in payment of additional tax in 6,907 cases. (1.38 crore)

Para No. 2.3, Para No. 2.4, Para No. 2.5

CHAPTER - 2

Para No. – 2.3
2.4
2.5

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	HINDUSTAN TIMES
Date	06. 08. 2026
Edition (H/E)	ENGLISH
Page No.	04

Rep. No. 13 of 2025.

Revisit budgeting methods to make estimates more realistic in UP: CAG

Para 2.1.9.6

Umesh Raghuvanshi

uraghuvanshi@hindustantimes.com

LUCKNOW: The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has taken strong exception to the Uttar Pradesh government's manual preparation of the state budget and asked the finance department to revisit budgeting methods to make budget estimates more realistic in the state.

Para No. 2.1.9.1

"Develop adequate functionality for budget preparations, surrender, re-appropriation and demand for budget. Ensure budget control through Integrated Financial Management System (IFMS)...The finance department needs to revisit their budgeting methods to make the budget estimates more realistic," the CAG observed while pointing out glaring irregularities in budget allotment, surrender and reappropriations.

The CAG made these observations in its report (Compliance Audit-Revenue and Civil) for the period ending March 2023. Tabled in the Vidhan Sabha here on Wednesday, the report pointed out that the state legislature approved a vote-on-account in 2022-23, during which budget allotment was made against specified heads. It said when the main budget was approved, no provision was made for some of these specified budget heads. It noted that as a result, expenditure of Rs 219.57 crore had been incurred without budgetary provision and the same is yet to be regularised.

Para No. 2.1.9.2

The CAG further noted that the functionality for surrender of budget provision had not been implemented in IFMS and, therefore, the budget surrender process is being carried out manually in offline mode outside the system.

"... the objective of real time accounting of the surrender amounts with the benefit of timely reappropriation of such surrendered amounts before the end of the financial year had not yet been realised....," observed the CAG report.

Para No. 2.1.9.3

The CAG report said budget reappropriations were also being processed through physical files and were being entered into IFMS after approval in offline mode. This resulted in delays in processing reappropriations in the system and non-utilisation of budget amounts. It said there were instances of re-appropriation of Rs 5,120.88 crore to expenditure on new services between 2018-2024 despite contrary provisions in the budget manual. It said the schemes financed by the financial institutions and externally aided projects cannot be reappropriated to other schemes. The CAG report observed that there were 151 instances of irregular reappropriations involving amounts of Rs 10,186.62 crore.

The CAG report has given 1885 instances involving an amount of Rs 13,938.27 crore where the expenditure under various major heads of account was in excess of the allotment.

"This irregularity indicated that application controls to prevent expenditure in excess of the budget allotment had not been implemented in the IFMS. The CAG has observed that the IFMS too has several gaps that need attention.

Additional chief secretary, finance, Deepak Kumar said as the CAG made the observations in its report of 2023, the state government has taken certain steps in this regard and would make further efforts to ensure that the budgetary estimates of earning and expenditure are more realistic in future. He said the state government has already made appropriate improvements in the functioning of IFMS.

CHAPTER - 2

Para No. - 2.1.9.1
2.1.9.2
2.1.9.3
2.1.9.6

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	07.08.2026
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	09.

सड़कों पर दौड़ रहे 3547 अनफिट वाहन, परिवहन विभाग रोकने में नाकाम

लखनऊ। प्रदेश में हजारों वाहन वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर चलते रहे, लेकिन परिवहन विभाग समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग ने न समय पर नोटिस जारी किए, न वाहन डाटाबेस में जरूरी कार्रवाई दर्ज की और न ही ऐसे वाहनों का संचालन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। रिपोर्ट में इसे सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है।

विधानमंडल में पेश रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 से अक्तूबर 2023 के बीच कानपुर और लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालयों तथा बहराइच व अन्य जिलों के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में 8861 परिवहन वाहनों के अभिलेखों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि 2010 परिवहन और 1537 निजी वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र समय पर नवीनीकृत नहीं कराए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी 894 वाहनों ने बाद में कर जमा किया, जबकि 934 वाहनों का प्रवर्तन दल ने चालान किया। इससे स्पष्ट है कि ये वाहन बिना वैध फिटनेस के सड़कों पर चलते रहे। इसके बावजूद विभाग ने वाहन डाटाबेस में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में सरकार से बिना वैध फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। ब्यूरो

CHAPTER- 2

Para No. 2.3.

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	07.08.26
Edition (H/E)	हिन्दी
Page No.	09

कैग रिपोर्ट :10 विभागों ने नहीं दिया 74 खातों का हिसाब

लखनऊ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में यूपी की विभिन्न सरकारी संस्थाओं में लेखा परीक्षण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2) के अधीन आने वाली 10 संस्थाओं के कुल 74 वार्षिक खाते अब तक लंबित हैं। वहीं, कोषागार स्तर पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण में गड़बड़ी के कारण 4332.89 करोड़ रुपये की राशि प्रभावित हुई। Para No. 2.1.10.3

Chapter-3 Para No (3.6.1)

- उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के छह वर्षों के खाते लंबित हैं। नोएडा के पांच वर्ष, ग्रेटर नोएडा के तीन वर्ष और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के दो वर्ष के खाते लंबित हैं। सहारनपुर, गोरखपुर और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक लगातार 18-18 वर्षों के खाते लंबित पाए गए। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) के भी तीन वर्षों के खाते लंबित हैं।
- कैग ने यह भी पाया कि वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच सीटीएमआईएस पोर्टल और डीडीओ पोर्टल पर प्रदर्शित लेखाशीर्षों में 152116 मामलों में अंतर था। इससे कुल 4332.89 करोड़ रुपये की राशि प्रभावित हुई। सबसे अधिक 1124.46 करोड़ की विसंगति लखनऊ कोषागार में दर्ज की गई। इसके अलावा वाराणसी में 788.53 करोड़, गोरखपुर में 641.46 करोड़, मिर्जापुर में 360.69 करोड़, गौतम बुद्ध नगर में 343.50 करोड़ व मुरादाबाद में 287.50 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई।
- कैग ने इन अनियमितताओं को वित्तीय नियंत्रण और लेखा प्रणाली की कमजोरी का संकेत बताते हुए लंबित खातों के शीघ्र निस्तारण तथा लेखाशीर्ष वर्गीकरण की त्रुटियों को दूर करने की सिफारिश की है। ब्यूरो

Chapter-2 Para No. 2.1.10.3

Scanned with CamScanner

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General on India for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh Report No. 13 of 2025 (Compliance Audit – Revenue and Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 05.08.2026

Name of the Newspaper	HINDUSTAN TIMES
Date	09.08.2026
Edition (H/E)	ENGISH
Page No.	04

Docs in UP paid NPA beyond prescribed limits: CAG report

Gaurav Saigal
Gaurav.saigal@htlive.com

LUCKNOW: A compliance audit by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has flagged irregularities in payment of non-practising allowance (NPA) to government doctors in Uttar Pradesh, with hundreds of cases involving payments beyond the prescribed limits between 2018 and 2024, while some received the allowance despite being ineligible.

The findings, part of a report on the finance and revenue departments, were tabled in the Uttar Pradesh Legislative Assembly during the monsoon session from August 3 to 5. The report stated that more than 500 government doctors in Uttar Pradesh were paid NPA in excess of the prescribed limits between 2018 and 2024.

NPA is paid at 20% of basic pay, subject to the condition that the total of salary and NPA should not exceed ₹2,37,500 a month. Clinical practice in the private sector is prohibited for doctors working in the Uttar Pradesh health and family welfare department, according to the rules, and NPA is paid to them as compensation for the restriction. There are more than 12,000 doctors in government service in the state.

"Data analysis of sampled treasuries for years 2018-19 to 2023-24 revealed in 571 cases, the amount of basic pay and NPA exceeded prescribed maximum limit ₹237500. Also in 1,660 cases, the NPA paid was at higher rate than 20%. The NPA paid was between 21% and 167%," the report said.

As an example of financial irregularity, the report cited the case of a senior consultant who was drawing basic pay of ₹2,04,200 and NPA of ₹40,840 between July 2022 and January 2023. As a result, she was paid an excess NPA of ₹7,540, along with additional dearness allowance applicable to the excess amount, during the period.

The audit also found that NPA was paid to 106 employees working in different designations who were not eligible for the allowance.

"The above instances indicate that application controls to map and enforce business rules related to NPA had not been implemented under the integrated financial management system," the CAG report said.

Chapter - 2

Para. No. - 2.1.9.17

Scanned with CamScanner